प्रपत्र–2.2

भाग–III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

P.No.- FP/UK/ROAD/21822/2016

14–	स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ। दिनांक 07.03.2019 को क्षेत्र में प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। **(निरीक्षण नोट संलग्न है)**
15–	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	सहमत
16–	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	Total area required for this proposal is 3.8675 ha. Of which 3.5525 ha is reserve forest. There are total 30 Oak trees of different class (dia) will be affected by this proposal under Mussoorie forest division. To compensate the loss Oak trees, ANR of Oak in adjoining area was recommended. However as per direction of APCCF and Nodal officer, forest conservation, uttarakhand, dehradun seprate estimate for ANR is not required and if essential, it should be included in CA estimate. Hence the proposal is recommended on the basis of above ground.

संलग्नक :– निरीक्षण नोट।

हस्ताक्षर

तिथि– 08.03.2019

नाम और पदनाम (पी0के0 पात्रो)

स्थान– देहरादून

CONSERVATOR OF FOREST
Yamuna Circle Uttarakhand,
DEHRADUN.

सरकारी मोहर

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकासखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरोड़ा–बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0–03 से कुण्ड गांव तक के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/ROAD/21822/2016)

बॉंज वृक्षो के पातन का प्रमाण–पत्र/निरीक्षण टिप्पणी

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण के लिए मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रस्तावित संरेखण का स्थलीय निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी, राजि अधिकारी रायपुर रेंज व अधीनस्थ स्टाफ कर्मचारी के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07.03.2019 को किया गया, जिसमें याचक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित रहे। प्रश्नगत मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसमें मसूरी वन प्रभाग की 3.5525 है0 आरक्षित वन भूमि तथा 0.3150 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि कुल 3.8675 है0 प्रभावित हो रही है जो कि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारणय का हिस्सा नही है तथा चिन्हित संरेखण/स्थल से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 8.125 कि0मी0 है, जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गठित किया गया है। मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम कुण्ड के ग्रामीण लाभान्वित होंगे, जिनकी आबादी लगभग 256 है।

प्रस्ताव के अनुसार परियोजना हेतु चयनित संरेखण में विभिन्न व्यास वर्ग, प्रजाति के आरक्षित वन भूमि, सिविल एवं सोयम वन भूमि एवं वन पंचायत भूमि मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 30 वृक्ष प्रभावित होंगे। परियोजना के निर्माण से मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों का व्यासवार विवरण निम्न प्रकार है :–

भूमि का प्रकार	प्रजाति	परियोजना के निर्माण में बाधक बांज वृक्षों का व्यास वर्गवार विवरण										योग
		0–10	10–12	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 over	
आरक्षित वन भूमि	बांज	00	02	06	10	04	00	00	00	00	00	**22**
सिविल भूमि	बांज	00	02	04	02	00	00	00	00	00	00	**08**
	योग	**00**	**04**	**10**	**12**	**04**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**30**

अन्य कोई विकल्प न होने के कारण परियोजना निर्माण हेतु चिन्हित संरेखण में ओक मिश्रित वन के आरक्षित वन भूमि में बांज के 22 व सिविल सोयम भूमि में बांज के 08 कुल 30 बांज वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

अतः प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु चिन्हित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण में उपयुक्त पाया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. मोटर मार्ग के लिए पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्षों को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाय।
2. मोटर मार्ग के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलबे को निर्धारित मक डिस्पोजल/डम्पिंग यार्ड क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।

Scanned by CamScanner

3. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आस-पास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाय।
4. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीव का आखेट न होने पाय। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(पी०के० पात्रो)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 1792/ देहरादून दिनांक, 08 मार्च, 2019

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2, पी०एम०जी०एस०वाई०, नई टिहरी।

(पी०के० पात्रो)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

Scanned by CamScanner